HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 602/2023

Meena Kumari W/o Shri Tikam Das, R/o 1128/13 Gautam Nagar, Bhangawanganj, Ajmer, Raj.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Smt. Neetu W/o Shri Anand, Aged About 35 Years, Resident Of Jamaloura, Gangamai Ka Mandir, Near Fatehpuriya School First Gate, Beawar, District Ajmer.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. C.S. Rathore
For Respondent(s) : Mr. A.K.Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

17/03/2026

विद्वान अधिवक्ता याची/परिवादी की ओर से हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 919/2019 में दिनांक 25.03.2019 एवं उसके अनुसरण में दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश को वापिस लिए जाने एवं याचिका को मूल नंबर पर पुनःसंस्थित किए जाने की प्रार्थना की गई है, जिस आदेश के द्वारा याची/परिवादी की दाण्डिक विविध याचिका कार्यालय द्वारा इंगित आपत्तियां निर्धारित समयावधि में दूर नहीं किए जाने के कारण निरस्त कर दी गई थी।

विद्वान अधिवक्ता याची/परिवादी का तर्क है कि याचिका में कार्यालय द्वारा दो आपत्तियां इंगित की गई थीं, जिनमें से एक आपत्ति उनके द्वारा दूर की जा चुकी थी परंतु दूसरी आपत्ति दूर करने के लिए दिनांक 25.03.2019 को तीन सप्ताह का समय दिया गया था और दूर नहीं करने की स्थिति में बिना न्यायालय को संदर्भित किए याचिका निरस्त करने का भी आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसरण में दिनांक 11.12.2019 को उनकी याचिका निरस्त कर दी गई है।

उनका तर्क है कि याची कोविड महामारी आ जाने के कारण समय पर कार्यालय आपत्ति दूर नहीं कर सका था इस कारण से याचिका निरस्त हो गई थी। अब

वे प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करवाना चाहते हैं, अतः इसका अवसर प्रदान किया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2019 एवं उसके अनुसरण में पारित आदेश दिनांक 11.12.2019 को वापिस लिया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त आदेश को वापिस लिए जाने एवं विविध याचिका को पुनर्स्थापित किए जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र निरस्तनीय होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

उक्त विविध याचिका याची/परिवादी की ओर से विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट केसेज संख्या–3 अजमेर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 423/2015 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका संख्या 157/2015 में निगरानी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–4 अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2018 को अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ पेश की गई है, जिसके द्वारा याचिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट निरस्त किया गया है तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निगरानी न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है।

यह विविध याचिका याचिनी/परिवादिनी के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है, अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र में अंकित कारणों एवं विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दो हजार रूपये हर्जा जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 25.03.2019 एवं उसके अनुसरण में पारित आदेश दिनांक 11.12.2019 वापिस लिया जाता है तथा एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 919/2019 को पुनः उसके मूल नंबर पर संस्थित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

हर्जे की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में जमा करवाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची को कार्यालय द्वारा विविध याचिका में इंगित कार्यालय आपत्तियां दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

तदनुसार उक्त प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /47